बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना)

सूचना

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य हेतु मानदेय आधारित विशेष सर्वेक्षण अमीन विज्ञापन संख्या– 01/2019 के आलोक में औपबंधिक नियोजन सूची विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित की गई है। इसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के विभागीय वेबसाईट www.lrc.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

यह औपबंधिक नियोजन सूची माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या– 16296/2019 देवराज सिंघानियाँ बनाम बिहार राज्य एवं अन्य से संबंधित में दिनांक 13.01.2020 को दिए गए न्याय निदेश "We modify our interim order dated 02.05.2019 passed in CWJC No. 9887 of 2019 (Virendra Kumar Paswan Vs. The State of Bihar & Ors.) and order dated 20.08.2019 passed in the isntant petition i.e. CWJC No. 16296 of 2019 and other consolidated/tagged cases clarifying that it shall be open for the State to complete the process of selection, but, however, in the order of appointment, it be notified to each one of the selected candidates that their appointment shall be subject to the final outcome of the writ petitions and that they shall not claim any equity.

List along with CWJC No. 21651 of 2018 and other analogous matters on 20.01.2020" के आलोक में प्रकाशित की जा रही है।

साथ ही दिनांक 21.01.2020 को सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या– 21651/2018, 578/2019, 7685/2019, 9887/2019, 13389/2019, 14305/2019, 15860/2019, 16296/2019, 16775/2019 एवं 17726/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्याय निदेश पारित किया गया –"Let the State file a comprehensive counter affidavit dealing with the issues raised in all these petitions.

As prayed for by the learned Advocate General, needful be done by the next date.

As prayed for, list the matter on 24.02.2020"

चूँकि विज्ञापन संख्या–01/2019 विशेष सर्वेक्षण अमीन की औपबंधिक नियोजन सूची माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में प्रकाशित किया जा रहा है, अतः भविष्य में यदि न्यायालय द्वारा प्रकाशित औपबंधिक सूची के इतर कोई न्याय निर्णय लिया जाता है या पूर्व में दिए गए न्याय निर्णय को संशोधित/निरस्त किया जाता है, तो औपबंधिक/अंतिम सूची के आधार पर नियोजित किए गए अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व इस न्याय निर्णय के फलाफल से प्रभावित होगा।

19/2/20

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय,
बिहार, पटना

Scanned by CamScanner